भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1303
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

1303. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्त्री अशिष्ट रुपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : जी हां । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के क्षेत्र में हाल ही में हुई तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑडियो-विजुअल् मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री को शामिल करने के लिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने के लिए नए सिरे से विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है ।

*****